भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-107

उत्तर देने की तारीख-08/12/2025

विद्यालयों में मातृभाषा का अनिवार्य प्रयोग

†*107. **श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:**

श्री जुगल किशोर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है कि जम्मू और कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़ और विशेषकर महाराष्ट्र के पालघर जिले सहित देश के ग्रामीण, जनजातीय, दुर्गम पहाड़ी और दूर-दराज के वन क्षेत्रों को तीन वर्षों की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के नए आधारभूत चरण में एकीकृत करने के लिए पर्याप्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो सके;

(ख) सरकार द्वारा देश में कक्षा पाँच तक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं, विशेषकर मिथिला क्षेत्र में मैथिली भाषा का आवश्यक/अनिवार्य रूप से प्रयोग करने के लिए क्या कार्यनीति अपनाई गई है;

(ग) मातृभाषा/स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा के आवश्यक/अनिवार्य प्रयोग से मध्य एवं माध्यमिक स्तर पर बहुभाषी दक्षता की आवश्यकता के संबंध में किस प्रकार संतुलन स्थापित होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने वर्ष में दो बार आयोजित की जाने वाली नई बोर्ड परीक्षाओं के लिए व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में विशेषकर मध्य प्रदेश के देवास-शाजापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में शैक्षणिक स्तर को बनाए रखते हुए छात्रों में तनाव को कम करने के लिए किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

'विद्यालयों में मातृभाषा का अनिवार्य प्रयोग' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री महेंद्र सिंह सोलंकी और श्री जुगल किशोर द्वारा दिनांक 08.12.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 107 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में, पहली बार 3 वर्ष के प्री-स्कूल (बालवाटिका) को 5+3+3+4 संरचना में शिक्षा की निरंतरता के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें प्री-स्कूल और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का 3 वर्ष का बुनियादी चरण है। स्कूल शिक्षा विभाग (डीओएसई एंड एल), शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने योजनाओं/कार्यक्रमों/पहलों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि जम्मू और कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र (पालघर जिले सहित) सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को तीन वर्ष की प्री-प्राइमरी शिक्षा को नई बुनियादी चरण (एफएस) में एकीकृत करने के लिए पर्याप्त केंद्रीय सहायता प्राप्त हो सके। जैसाकि एनईपी 2020 में परिकल्पना की गई है, ग्रेड 2 के अंत तक सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान (एफएलएन) प्राप्त करने के लिए, निपुण भारत मिशन नामक एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है।

निपुण भारत मिशन : यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश का प्रत्येक बच्चा ग्रेड 2 के अंत तक आवश्यक रूप से एफएलएन प्राप्त कर लें, "समझ और संख्याज्ञान के साथ पठन में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत)" नामक एक प्रमुख राष्ट्रीय मिशन, 5 जुलाई, 2021 को शुरू किया गया था। इस मिशन की स्थापना समग्र शिक्षा के तत्वावधान में की गई है। सभी 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निपुण-भारत मिशन (एनबीएम) का कार्यान्वयन कर रहे हैं। एनबीएम के तहत निम्नलिखित घटकों के लिए वित्तीय मानदंडों का प्रावधान किया गया है:

- प्री-स्कूल शिक्षा/सह-स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों (आवर्ती और अनावर्ती) को सहायता
- नवाचारी शिक्षणशास्त्र के कार्यान्वयन के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री
- शिक्षक संसाधन सामग्री/कार्यकलाप पुस्तिका
- ग्रेड I और II के शिक्षकों का क्षमता निर्माण
- छात्रों का स्वतंत्र, आवधिक और समग्र मूल्यांकन
- राज्य और जिला स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) का निर्माण

प्री-स्कूल (बालवाटिका) को बुनियादी चरण में एकीकृत करने के लिए, निम्नलिखित प्रगति हुई है:

- **एनसीएफ़-एफ़एस**: बुनियादी चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) 20 अक्टूबर, 2022 को जारी किया गया था, जो पाठ्यक्रम, शिक्षकों के प्रशिक्षण, अधिगम शिक्षण सामग्री (एलटीएम) आदि के लिए एक संरचना प्रदान करता है। यह भारत में 3-8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पहला एकीकृत पाठ्यक्रम रूपरेखा है।

- **विद्या प्रवेश:** ग्रेड-I के लिए 'विद्या प्रवेश' नाम से 3 महीने के खेल आधारित 'स्कूल तैयारी मॉड्यूल और दिशानिर्देश' 29 जुलाई, 2021 को शुरू किया गया था। विद्या प्रवेश कार्यक्रम का लक्ष्य विभिन्न पृष्ठभूमियों (बालवाटिका, आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी), घर पर, निजी खेल स्कूलों आदि) से ग्रेड-I में आने वाले सभी बच्चों में स्कूल की तैयारी को बढ़ावा देना है, ताकि बच्चों को ग्रेड-I में सुचारू रूप से परिवर्तित किया जा सके। यह कार्यक्रम जम्मू और कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया गया है। विद्या प्रवेश मॉड्यूल से लाभार्थी छात्रों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है:

राज्य	लाभार्थी छात्र		
	2022-23	2023-24	2024-25
जम्मू और कश्मीर	1,34,249	1,30,640	1,19,160
झारखंड	13,00,000	5,52,263	5,70,745
छत्तीसगढ़	2,59,165	3,19,918	2,98,632
महाराष्ट्र	13,84,131	11,03,339	10,78,720
भारत (सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	1,80,13,930	1,13,60,923	1,29,06,518

- **आंगनवाड़ी केंद्रों की सह-अवस्थिति (एडबल्यूसी)**: एनईपी 2020 में यथा परिकल्पित, उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मॉडलों में से एक मॉडल में ग्रेड 1 वाले आंगनवाड़ी सह-स्थित स्कूल हैं। इस संबंध में, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से 3 सितंबर, 2025 को "स्कूलों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की सह-अवस्थिति के लिए दिशानिर्देश" जारी किए हैं। यूडाइस+ 2024-25 के अनुसार, ग्रेड-I वाले स्कूलों में 2,99,546 सह-स्थित आंगनवाड़ी केंद्र हैं। राज्य-वार विवरण blob:https://udiseplus.gov.in/709af9f3-e9b0-47c0-ab8f-5345bed073ce (तालिका 3.7) पर उपलब्ध हैं।
- पीएम-पोषण के तहत बालवाटिका के छात्र भी शामिल हैं।

(ख) और (ग): शिक्षा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के क्षेत्राधिकार में आते हैं। एनईपी 2020 के पैरा 4.13 के अनुसार, *"त्रि-भाषा सूत्र संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं, और बहुभाषिकता के संवर्धन के साथ-साथ देश की एकता को बढ़ावा देने की ज़रूरत को ध्यान में*

रखते हुए इसका कार्यान्वयन किया जाता रहेगा। हालांकि, त्रि-भाषा सूत्र में और अधिक लोचशीलता होगी, और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाएँ राज्यों, क्षेत्रों और स्वयं छात्रों की रुचि होंगी, बशर्ते कि तीन में से कम से कम दो भाषाएँ भारत की हों। विशेष रूप से, जो छात्र अपनी पढ़ाई को तीन भाषाओं में से एक या एक से अधिक बदलना चाहते हैं, वे ग्रेड 6 या 7 में ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते कि वे माध्यमिक स्कूल के अंत तक तीन भाषाओं (साहित्यिक स्तर पर भारत की एक भाषा सहित) में बुनियादी प्रवीणता का प्रदर्शन कर सकें।"

सरकार की नीति सभी भारतीय भाषाओं के संवर्धन की है। एनईपी, 2020 बहुभाषिकता को बढ़ावा देने और भारतीय भाषाओं को जीवंत बनाए रखने के प्रयासों पर बहुत अधिक बल देता है। एनईपी 2020 में उल्लिखित है कि जहां भी संभव होगा, न्यूनतम कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी। नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि शिक्षण उनकी घरेलू भाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए और भारतीय भाषाओं के अधिगम को स्कूल शिक्षा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि छात्रों के पास किसी भी भारतीय भाषा में अध्ययन करने का विकल्प हो। एनईपी, 2020 के अनुवर्ती के रूप में, स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) 2023 जुलाई 2023 में शुरू की गई थी और भारतीय भाषाओं के संवर्धन हेतु स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

(i) एनसीईआरटी ने कक्षा 1 से 3 और 6 के लिए मैथिली भाषा सहित 22 अनुसूचित भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें विकसित और प्रकाशित की हैं। पाठ्यपुस्तकें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट https://ncert.nic.in. पर उपलब्ध हैं।

(ii) जादुई पिटारा (जेपी), जो 3-8 वर्ष की आयु के लिए 53 खेल-आधारित अधिगम-शिक्षण सामग्री का एक सेट है, 20 फरवरी 2023 को प्रारंभ किया गया था। जादुई पिटारा में 22 भारतीय भाषाओं (मैथिली सहित) और अंग्रेजी में उपलब्ध, खिलौने, पहेलियाँ, कहानी कार्ड, फ्लैशकार्ड और शिक्षक हैंडबुक शामिल हैं। इसका डिजिटल विस्तार, ई-जादुई पिटारा, जो 10 फरवरी 2024 को प्रारंभ किया गया, बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों को सहयोग देने के लिए 22 भारतीय भाषाओं (मैथिली सहित) में बहुभाषी कहानियां, कार्यकलाप, गीत और एआई-आधारित बॉट-कथा सखी, शिक्षक तारा और अभिभावक तारा प्रदान करता है। एनईपी 2020 में यथा परिकल्पित, ये पहल बुनियादी चरण का एक अभिन्न अंग हैं।

(iii) प्राइमर्स (मार्च, 2024 में प्रारंभ) को न्यूनतम 10,000 की आबादी द्वारा बोली जाने वाली मातृभाषाओं में एफएलएन के लिए 121 स्थानीय भाषाओं (मैथिली सहित) में तैयार किया गया है। प्राइमर https://ncert.nic.in/primers.php?ln=en पर उपलब्ध हैं।

(iv) शिक्षा मंत्रालय ने भाषा संगम के कार्यक्रम के माध्यम से सभी भारतीय भाषाओं के संवर्धन हेतु एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया। स्कूल में बच्चे ऑडियो और वीडियो की सहायता से 22 अनुसूचित भाषाओं (मैथिली सहित) में 100 वाक्य सीखते हैं। देशभर के स्कूल इसमें भाग ले रहे हैं और भारतीय भाषाओं को सीख रहे हैं। पाठ्यपुस्तक से संबंधित और ऑडियो-वीडियो दोनों सामग्री https://ncert.nic.in/bs-2021.php पर दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

(v) राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय बच्चों और किशोरों को विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, भाषाओं, शैलियों और शैक्षिक स्तरों तक पहुंच सुनिश्चित करके गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें प्रदान करता है। यह मंच 23 भाषाओं में 5,000+ गैर-शैक्षणिक पुस्तकें प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध होती है।

(vi) पीएम ई-विद्या पहल का विस्तार "एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म" के दृष्टिकोण के साथ 200 डीटीएच टीवी चैनलों तक हो गया है, जो विभिन्न 128 भारतीय भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में ग्रामीण क्षेत्र की पहुंच और समावेशिता को बढ़ाते हुए पाठ्यक्रम-के अनुरूप सामग्री प्रदान करता है।

(vii) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बुनियादी स्तर और प्रारंभिक स्तर पर भी शिक्षा के माध्यम के रूप में बच्चों की घरेलू भाषा, मातृभाषा या मैथिली सहित किसी परिचित क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करने का प्रावधान किया है। दिनांक 22.05.2025 की अधिसूचना https://cbseacademic.nic.in/web_material/Circulars/2025/30_Circular_2025.pdf पर उपलब्ध है।

(घ) और (ङ): सीबीएसई ने 2026 से xवीं कक्षा में दो बोर्ड परीक्षाओं और दिनांक 25.06.2025 को अपनी अधिसूचना के माध्यम से इसके कार्यतंत्र को अधिसूचित किया है। अधिसूचना https://www.cbse.gov.in/cbsenew/documents/Notification_Two_Board_Examinations_Class_X_2026_25062025.pdf पर उपलब्ध है। सीबीएसई का मुख्य दायित्व IXवीं और XIवीं कक्षा में अभ्यर्थियों को पंजीकृत करना और अपने संबद्ध स्कूलों के लिए वार्षिक IXवीं और XIIवीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित आयोजित करना है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों को समर्थ बनाने हेतु परीक्षा और मूल्यांकन पद्धतियों में सुधार करता है। वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने सहित हाल के सुधारों को एनईपी 2020 के साथ अनुरूप बनाया गया है, जिसका उद्देश्य हाइ-स्टेक वाले परीक्षा के दबाव को कम करना और रट कर याद करने की तुलना में लोचशीलता और कार्यनिर्वाह क्षमता-आधारित अधिगम को बढ़ावा देना है।

*****